छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी 244–245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

कमांक 51 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिये संचालित मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है:–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट, जूता, दास्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1,500/– जो भी कम हो, हितग्राही द्वारा उक्त सामग्री स्वयं के व्यय से क्रय पश्चात् देयक सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ एक बार प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) <u>योजना हेतु पात्रता</u> :–

(i) योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) हितग्राही पंजीयन के 90 दिन पश्चात् लाभ लेने हेतु पात्र होगे ।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–

(i) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(iv) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, का नंबर, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(v) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृती की जावेगी ।

(ई) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृष्ठांकन क्र......2226 — 2236   रायपुर, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
5. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
9. लेखा शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
10. एन आई सी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेपित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/2/2017

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक......37...... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 33 दिनांक 24–08–2013 **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना"** को विलोपित करते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु निम्नानुसार योजना बनाती है :– दिनांक 26/9/15

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट, जूता, दास्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1,500/– जो भी कम हो, मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दो वर्ष में एक बार योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) <u>योजना हेतु पात्रता</u> :–

योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–

(i) आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को On-line जमा किए जायेंगे।

(द) **स्वीकृति का अधिकार–**

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण–**

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का मिर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित्त)

26/9/2015

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र. 10174-10180

रायपुर, दिनांक 26/09/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, (BOCWWB) छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी........................ ....(छ0ग0)
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रस्तुत।

26/9/2015

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

[illegible] गैरेज के पीछे, जगमोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

कार्यालय, श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
आवक 7190
दिनांक 26 AUG 2013
शाखा VII

अधिसूचना

दिनांक 24/08/2013

क्रमांक.....33............... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है –

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया–

(i) आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/नगर निगम आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

(द) **स्वीकृति का अधिकार–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण–**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में जिला कलेक्टर तथा सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

21/8/2013

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र0 / / 1105-1117/33 रायपुर, दिनांक 21/08/13

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)

10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)

11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)

12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका ....कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....

13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उंक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

24/8/2013

सचिव
छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर